न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0– 204 / 2022
सी सी एम एस न0 2022 / 598

दर्ज दिनांक 31.05.2022
निर्णय दिनांक 21.07.2023

जैसाराम

बनाम

सुरेश आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2023 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम पचलंगी पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी में खसरा न. 1571, 1577, 1578, 1661, 1665, 1666, 1680, 1681, 1682, 1683 कुल किता 10 कुल रकबा 4.82 है0 भूमि में वादीगण के के हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.04.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र कमांकः– भू.अ. / 2023 / 1855 दिनांक 12.07.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर कोई ऐतराज पेश नही । अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

21/7/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/7/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0- 204/2022
सी एम एस न0 2022/598

दर्ज दिनांक 31.05.2022
निर्णय दिनांक 21.07.2023

जैसाराम

बनाम

दावा विभाजन

सुरेश आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ... -..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..-............निल............... मुबलिक -............निल................ दाबन.-............... ....निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 07 सन 2023 को जारी की गई।

21/7/23
(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)